—:: नि ण य ::—

(आज दिनांक 18/10/22 को पारित किया गया)

1— प्रकरण में अभियुक्त कैलाश की स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा **आब0 अधि0—1915 की धारा—34(1)**. के तहत दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

2— अभियुक्त के विरूद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिकथित नहीं है। उसका प्रथम अपराध होना व अपराध के स्वरूप को देखते हुये आरोपी को कारावास के दण्ड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी को धारा **आब0 अधि0—1915 की धारा—34(1)** के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं रूपये Rs. 2500/- (अक्षरी रुपये दो हजार पांच सौ मात्र) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर आरोपी को उक्त धारा में कमशः 15 दिन/~~माह~~ का साधारण कारावास भुगताया जावें ।

3— प्रकरणमें जप्तशुदा मुद्देमाल 32 क्वाटर देशी प्लेन शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला—इंदौर (म0प्र0)

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.)

मेरे उदबोधन पर टंकित किया ।

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला—इंदौर (म0प्र0)

(रूपल गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

Scanned by CamScanner